न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **52/2022 GCMS 2022/109**

प्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी(तहसीलदार) कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद जाति कुम्हार निवासी कुचामन सिटी वगैराह

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित :– राजपैरोकार

वकील श्री श्यामसुंदर चौधरी अप्रार्थीगण संख्या 33 की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/2/2025

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी(तहसीलदार) कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 35 के द्वारा कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 977 रकबा 2.56 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि कृषि प्रयोजन से असंगत वाणिज्यिक में उपयोग में लेकर कृषि की उर्वरक क्षमता को भारी नुकसान कारित किया है, अप्रार्थीगण का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लधंन है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषि भूमि को सिवायचक राजकीय भूमि घोषित किये जाने योग्य होने के कारण रिसीवर नियुक्त कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 33 पुसी देवी पत्नी भंवराराम कड़वा जाति जाट निवासी सुजानपुरा की ओर से जवाब [illegible] निवेदन किया कि कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1000, 1003, 977 [illegible] कुल रकबा 3.05 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि की धारा 90 ए की कार्यवाही दिनांक 18.02.2013 को का[illegible] प्राधिकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अधिकारी नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी के द्वारा हो चुकी है। लेकिन भूलवश राजस्व रेकर्ड में अंकन होने से रह गया है। अप्रार्थी संख्या 33 ने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि से भूखण्ड खरीदने के पश्चात् नगर पालिका मण्डल कुचामन सिटी आवासीय पट्टा भी ले रखा है तथा सम्पूर्ण भूमि पर आबादी बसी हुई है। इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

राजपैरोकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व में ही संपरिवर्तन हो रखा है तो यह प्रार्थना पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 977 सम्पूर्ण रकबा 2.56 हैक्टयर भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उप धारा (8) के तहत कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल कुचामन सिटी के आदेशांक/नपाकु/भूमि/2012–13/6707 दिनांक 18.02.2013 के द्वारा भूमि का भू–रूपान्तरण किया हुआ है। जिसके कारण अब इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाये जाने पर अस्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 977 रकबा 2.56 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि से संबंधित इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)